न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/90 सन् 2017

वउनवान

1. जगवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह
2. बलवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह
3. सतवीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह जाति जाट
   निवासीयान ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर
4. तारा पुत्री श्री प्रतापसिंह पत्नी हेतमचन्द जाति जाट
   निवासी अर्रूवा हालवासी सैण्डोली तहसील नदबई

——— वादीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी अर्रूवा
   तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

——— प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित :–

श्री भीमसिंह राना एडवोकेट : वकील वादीगण

निर्णय दिनांक 26.02.2018

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 654 रकवा 0.82 हे. 680 रकवा 0.82 हे.709 रकवा 0.34 हे. 730 रकवा 0.34 हे. 1072 रकवा 0.46 हे. किता 5 रकवा 2.77 हे0 ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के वुजुर्ग श्री धर्मसिंह के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। धर्मसिंह वादीगण का दादा व प्रतापसिंह वादीगण का पिता है। वादीगण के दादा धर्मसिंह के फौत हो जाने पर विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में मिली है इस वजह से विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक वुजुर्गानी है। जिसमें वादीगण को बाई बर्थ यानि जन्म से ही हक वो अधिकार पैदा हो चुके है। इस प्रकार विवादित आराजी वादीगण के 4/5 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 के 1/5 हिस्सा की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। वादीगण विवादित आराजी में अपने 4/5 हिस्से पर काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। तमाम साविक रेवन्यु रेकार्ड में विवादित आराजी वादीगण के दादा धर्मसिंह की खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज रहने से वादीगण के हक हकूकों पर विपरीत असर पड रहा है। विवादित आराजी हाल राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है जिस कारण प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करता है रहन वय करने की धमकी देता है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी में अपने 4/5 हिस्सा की आराजी को अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम को वादीगण के हिस्से तक कलमजन करने व दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ने हाजिर अदालत होकर दावा वादीगण के तथ्यों को स्वीकार करते हुये ईकवाल जवाव पेश किया है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 प्रदर्श 3 नकल इन्तकाल संख्या 507 प्रदर्श–4 वाके ग्राम अर्रूवा की सत्यप्रतिलिपी पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी जगवीरसिंह पी डब्ल्यू 1, गवाह बच्चूसिंह पी डब्ल्यू 2, गवाह जितेन्द्रकुमार पी डब्ल्यू–3 के वयान रेकार्ड कराये है जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड वयान गवाहान, ईकवाल जवाव का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता वादीगण की वहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण की पैत्रिक आराजी है। जो प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के दादा से जरिये विरासत इन्तकाल संख्या 507 से अवतरित हुई है। पैत्रिक सम्पत्ति में सभी वारिसान को जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। मुताविक हिस्सा वादीगण 4/5 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 1/5 हिस्से पर कब्जे काश्त में है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाव इकवालिया पेश कर दावा के तथ्यों को स्वीकार किया है व बैंक के कर्जा को चुका दिया है। नो डयूज की छाया प्रति पेश की है। अतः दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिक्री किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

यह निर्विवाद है कि वादीगण धर्मसिंह के पोत्र पोत्री व प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र पुत्री है। जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 प्रदर्श 1 में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी में दर्ज है। प्रदर्श 2 जमाबन्दी संवत् 2056 से 2059 में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व मंगली वेवा धर्मसिंह वहिस्सा बराबर की खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी संवत् 2060 से 2063 में विवादित आराजी प्रतिवादी संख्या 1 व मंगली वेवा धर्मसिंह वहिस्सा बराबर खातेदारी में दर्ज है जिसमें मंगली द्वारा अपने 1/2 हिस्से की आराजी का प्रतापसिह के हक में हक त्याग करने का नामान्तकरण सं01026 का नोट लगा हुआ है। प्रदर्श 4 इन्तकाल संख्या 507 वाके ग्राम अर्रूवा की सत्य प्रतिलिपी है। जिसके अनुसार विवादित आराजी वादीगण के दादा धर्मसिंह के फौत हो जाने पर प्रतिवादी संख्या 1 व मंगली वेवा धर्मसिंह को वहिस्सा बराबर विरासत में प्राप्त हुई है। मंगली वेवा धर्मसिंह ने अपने 1/2 हिस्सा का रजिस्टर्ड हक त्याग प्रतिवादी संख्या 1 के हक में कर दिया जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के हक में नामान्तकरण संख्या 1026 स्वीकार हो चुका है। इन्तकाल संख्या 507 के अवलोकन से विवादित आराजी पैत्रिक सावित है तथा वादीगण के दादा धर्मसिंह के फौत हो जाने पर विवादित आराजी वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 को विरासत में प्राप्त होना सावित है। गवाह वादी जगवीरसिंह पी डब्ल्यू 1 ने विवादित आराजी पर वादीगण का 4/5 हिस्सा बाई बर्थ प्राप्त होना व मौके पर कब्जा होना कथन किया है इसी प्रकार स्वतंत्र गवाह बच्चूसिंह व जितेन्द्रकुमार ने विवादित आराजी पर वादीगण का 4/5 हिस्से पर व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्से पर कब्जा होना व मौके पर इसी अनुसार काश्त करना कथन किया है। प्रतिवादी संख्या 1 स्वंय ने ईकवाल जवाव पेश कर विवादित आराजी पैत्रिक होना व वादीगण का 4/5 हिस्से पर कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। जहां तक दादा की आराजी में पोत्र पोत्रियों का जन्म से ही हक वो अधिकार प्राप्त होने का प्रश्न है माननीय राजस्व मण्डल द्वारा अपने विभिन्न निर्णयों में दादा की जमीन में उसके पोत्र पोत्रियों को जन्म से ही हक वो अधिकार होना माना है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड प्रतिवादी सं01 के ईकवालिया जवाव व गवाहान के वयानों के अध्ययन करने पर वादीगण का दावा सावित होने से डिकी योग्य पाया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner

आदेश

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 654 रकवा 0.82 हे. 680 रकवा 0.82 हे.709 रकवा 0.34 हे. 730 रकवा 0.34 हे. 1072 रकवा 0.46 हे. किता 5 रकवा 2.77 हे0 ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में वादीगण को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण के 4/5 हिस्से तक कलमजन करने व राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार नवीन अंकन करने हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

आज दिनांक 26.02.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर

Scanned by CamScanner

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री कनिष्क सैनी आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 1/90 सन् 2017

वउनवान

1.जगवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह
2.बलवीरसिंह पुत्र श्री प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह
3.सतवीरसिंह पुत्र प्रतापसिंह पोत्र धर्मसिंह जाति जाट
निवासीयान ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर
4.तारा पुत्री श्री प्रतापसिंह पत्नी हेतमचन्द जाति जाट
निवासी अर्रूवा हालवासी सैण्डोली तहसील नदबई

——— डिक्रीदार

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र धर्मसिंह जाति जाट निवासी अर्रूवा तहसील कठूमर जिला अलवर
2. उप पंजीयक कठूमर जिला अलवर

——— मदयूनान

दावा इस्तकरारहक वो हुक्मइन्तनाई दवामी

दावा वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 654 रकवा 0.82 हे. 680 रकवा 0.82 हे.709 रकवा 0.34 हे. 730 रकवा 0.34 हे. 1072 रकवा 0.46 हे. किता 5 रकवा 2.77 हे0 ग्राम अर्रूवा तहसील कठूमर में वादीगण को 4/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम वादीगण के 4/5 हिस्से तक कलमजन करने व राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार नवीन अंकन करने हेतु तहसीलदार कठूमर को आदेश दिये जाते है।

आज दिनांक 28.02.2018 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कनिष्क सैनी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर
कठूमर (अलवर)

Scanned by CamScanner